लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462021
दूरभाष–0755–2583659 फैक्स–0755–2583651 ई–मेल cpibhop@nic.in

क्र./रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/ 2013 भोपाल दिनांक 4/7/19

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
4. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूल (स्कूल शिक्षा विभाग)

विषय- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

संदर्भ- 1. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 44-15/20/2010/20-2 भोपाल दि 09.11.16.
2. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20-2 भोपाल दि. 07.07.18.

अतिथि शिक्षक पोर्टल (www.gfms.mp.gov.in) पर पंजीकृत तथा सत्यापित आवेदकों का स्कोर कार्ड ऑनलाईन प्रदर्शित किया जा चुका है। सत्र 2018-19 में स्कूलों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सत्र 2019-20 में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

1. आवेदक के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही

1.1 आवेदक द्वारा पंजीकृत एवं संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित आवेदनपत्र में आवेदक द्वारा दर्ज की गई शैक्षणि योग्यता के आधार पर पद एवं विषयवार पेनल (SSS1-English/SSS2-Maths..) की गणना करते हुये स्कोरकार्ड जनरेट कि गये है।

1.2 आवेदक स्वयं के लॉगिन अथवा आधार नम्बर से स्कोरकार्ड को अतिथि शिक्षक पोर्टल से डाउनलोड करें।

1.3 शैक्षणिक सत्र 2018-19 में अतिथि शिक्षक पोटेल के माध्यम से चयनित एवं 03 माह या इससे अधिक कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक को बोनस के रूप में 25 अंक के साथ स्कोरकार्ड जनरेट किया गया है। एक माह में औसतन 24 कार्यदिवस मानते हुये आवेदक के कुल कार्यदिवस 72 दिवस या उससे अधिक का मानदेय जनरेट होने पर 25 अंक स्कोरकार्ड में जोड़े गये है।

1.4 शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाईनिंग पोर्टल में नहीं होने के कारण मानदेय के देयक पोर्टल से जनरेट नहीं होने के फलस्वरुप स्कोर कार्ड में बोनस के रूप में 25 अंक प्रदर्शित नहीं हुये हैं। ऐसे आवेदक गतवर्ष 2018-19 की कार्यरत संस्था में किये गये कार्य के दिवसों का प्रमाणपत्र निर्धारित संलग्न प्रारुप में संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर उपरांत आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं। संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य अभिलेख के आधार पर प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित करेंगे। किसी भी विसंगति अथवा गलत जानकारी के प्रमाणीकरण करने वाले संस्था प्रमुख/ संकुल प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

1.5 **रिक्त पदों की जानकारी -** आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शालावार पेनलवार रिक्तियां देख सकते हैं। ये रिक्तियां परिवर्तनशील है। स्थानांतरण इत्यादि के फलस्वरुप रिक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है।

1.6 **स्कोर कार्ड में प्रदर्शित पेनल के अनुसार विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करना-** आवेदक विद्यालय में विषयमान से रिक्त पद के लिये निर्धारित प्रारुप में (संलग्न) दिनांक 8.7.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक आवेदन करेंगे।आवेदन के साथ सत्र 2019-20 का स्कोरकार्ड लगाया जाना अनिवार्य है,संस्था से आवेदन की पावती प्राप्त की जाये।

2. विद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

2.1 आवेदन प्राप्त करने हेतु विद्यालय में एक व्यक्ति-लिपिक/शिक्षक को नामांकित करें,जो आवेदन प्राप्त कर पावती देंगे।

2.2 निर्धारित तिथि तक विद्यालय में प्राप्त आवेदनपत्रों को पंजी में दर्ज करायेंगे।

2.3 प्राप्त आवेदन में संलग्न स्कोरकार्ड में प्रदर्शित स्कोरके आधार पर प्रत्येक पैनल की मेरिट सूची तैयार करें।

2.4 बिन्दु 1.4 में उल्लेखित कारण के अनुसार. यदि किसी आवेदक के स्कोर कार्ड में 25 अंक प्रदर्शित नहीं हुये हैं। इस स्थिति में आवेदक गतवर्ष की कार्यरत संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य द्वारा निर्धारित प्रारुप में हस्ताक्षरित उपस्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर मेरिट सूची में आवेदक के स्कोर में बोनस के 25 अंक को जोडे जाए। बोनस अंक का लाभ देने के पूर्व संस्था प्रमुख प्रमाणपत्र का सूक्ष्मता से परीक्षण करें तथा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित संस्था /संकुल से पुष्टि भी कर सकते हैं।

2.5 मेरिट सूची बनाते समय गत वर्ष का परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित कण्डिका 3.1.2 का ध्यान रखा जाये।

2.6 मेरिट के आधार पर तैयार विषयवार पैनल का अनुमोदन दिनांक 8.7.19 को सायं 4.00 बजे आयोजित एस.एम.सी./ एस.एम.डी.सी. की बैठक में करें।

2.7 एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी. द्वारा अनुमोदित मेरिट सूची नोटिसबोर्ड पर लगाई जाये।

2.8 पैनल में गुणानुक्रम साथ ही गत वर्ष का परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित कण्डिका 3.1.2 के अनुसार आवेदक को अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में विषयमान से स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाए अन्यथा सम्बंधित संस्था प्रमुख वित्तीय अनियमितता के दोषी होंगे।

2.9 अतिथि शिक्षकों को विषयमान से ही रखा जायेगा। किसी विषय के विरुद्ध अन्य विषय का अतिथि शिक्षक रखने पर सम्बन्धित संस्था प्रमुख के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3. विद्यालय द्वारा आवेदक को अध्यापन हेतु आमंत्रित करना

3.1 बिन्दु-2.8 के अनुसार आवेदक को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित करने के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण की जाये :-

3.1.1 स्कोर कार्ड में प्रदर्शित अंकों का मिलान मूल अंकसूची से किया जाये।

3.1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को नहीं लिया जाए।

3.1.3 विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से इस आशय का स्वघोषणा शपथपत्र लिया जाए, कि उनके विरुद्ध "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2000" के अधीन अथवा अन्य कोई अपराधिक मामला पंजीबद्ध अथवा प्रचलित नहीं है। स्वघोषणा शपथपत्र का प्रारुप संलग्न है।

3.1.4 एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी. की राय में यदि अभ्यर्थी शिक्षण कार्य हेतु स्वस्थ नहीं है, तो समिति आवेदक से स्वास्थ्य जांच प्रमाणपत्र की मांग कर सकेंगे।

3.1.5 सेवानिवृत शिक्षक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, उन्हे आमंत्रित नहीं किया जाये।

3.2 अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित किये जाने वाले आवेदक के लिये उक्त बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी. उस आवेदक को अमान्य करते हुये तत्सम्बन्धी कारण के विवरण को अतिथि शिक्षक कार्यवाही पंजी में कारण सहित स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये तथा पैनल से गुणानुक्रमानुसार अगले आवेदक को आमंत्रित किया जाए।

4. अतिथि शिक्षक प्रक्रिया का अभिलेखीकरण

4.1 अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त प्रक्रिया को एक पंजी में व्यवस्थित रुप से संधारित किया जाये जिसमें मुख्यत: निम्न बिन्दु सम्मिलित हो :

4.1.1 निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त आवेदनपत्र।

4.1.2 प्राप्त आवेदनों को विषयवार फाईल-कवर में संधारित किया जाये।

4.1.2 प्राप्त आवेदनों का मेरिट के अनुसार पेनल।

4.1.3 पेनल के गुणानुक्रम के अनुसार आवेदक निर्धारित तिथि तक उपस्थिति नहीं देने वाले आवेदक का असहमति पत्र प्राप्त किया जाये।

4.1.4 पैनल के आवेदकों द्वारा उपस्थिति नहीं देने अथवा कण्डिका 3.1.1-3.1.5 के परिपेक्ष्य में अध्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किये जाने सम्बन्धी विवरण को कारण सहित स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये।

4.1.5 बैठक का कार्यवाही विवरण में समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हो।

4.2 अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के प्रक्रिया की कार्यवाही नियम तथा निर्देशों का पालन करते हुये पूर्ण की जाये। संस्था प्रमुख शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही को पारदर्शी तथा व्यवस्थित रुप से करने के साथ ही पंजी में डॉक्यूमेंट भी करें जिससे अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण से सम्बन्धित शिकायतें उदभुत नहीं होंगी।

4.4 समस्त विद्यालयों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि, अतिथि शिक्षक के चयन की कार्यवाही शासन के निर्देशों के अनुसार पूर्ण की गयी है।

5. समयसीमा :-

क्र	गतिविधि	अवधि
1	आवेदक द्वारा स्कोर कार्ड सहित विद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना	8.7.2019 दोपहर 12:00 बजे तक
2	विद्यालय स्तर पर एस.एम.डी.सी./एस.एम.सी. द्वारा पैनल का अनुमोदन।	8.7.2019 अपरान्ह 2:00 बजे तक
3	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों को आमंत्रित करना।	8.7.19
4	• पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति। • प्रथम स्थान पर आवेदक द्वारा शाला में उपस्थिति नहीं देने पर प्रथम स्थान वाले आवेदक से असहमति प्राप्त कर द्वितीय स्थान वाले आवेदक को आमंत्रित किया जाये। • उपस्थिति नहीं देने वाले आवेदक की असहमति लिखित के अतिरिक्त व्हाटसएप्प इत्यादि पर भी प्राप्त की जा सकती है। • 2 दिन तक उपस्थित न होने अथवा असहमति नहीं भेजने पर उस आवेदक की अनुपस्थिति मानकर गुणानुक्रम से अगले स्थान वाले आवेदक को आमंत्रित किया जाये किन्तु इससे पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बंधित को विधिवत सूचना मिल गई हो • मेरिट सूची के निचले क्रम के आवेदक द्वारा उपस्थिति नहीं देने पर उक्त प्रक्रिया को अपनाया जाये।	9-11 जुलाई'2019
5	संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी को पोर्टल में दर्ज करना।	15 जुलाई'2019 तक

6. संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि

उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत विद्यालय में उपस्थित होने वाले अतिथि शिक्षक की प्रविष्टि संकुल प्राचार्य डी.डी.ओ. लॉगिन से पोटेल में करेंगे। समय पर प्रविष्टि नहीं करने वाले प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन अतिथि शिक्षक रखने की अनुमति नहीं होगी।

7. अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया

7.1 विद्यालय में केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों का मानदेय आहरित किया जा सकेगा।

7.2 निर्देशों के विरुद्ध यदि किसी भी अतिथि शिक्षक का मानदेय आहरित किया जाता है, तो सम्बंधित आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त निर्देशों के अनुसार दी गयी समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/अति.शि.नियु./2019/10 रीवा दिनांक 04.07.2019

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा।
3. कलेक्टर, जिला रीवा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा।
6. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा।
7. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाई स्कूल जिला रीवा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित बिन्दुवार निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये निर्धारित समय सीमा में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4-7-19

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म.प्र)

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र

नोट -

1. आवेदन के साथ सत्र 2019–20 का स्कोर कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
2. बिना स्कोर कार्ड के आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. प्रत्येक पैनल के लिये प्रथक– प्रथक आवेदन प्रस्तुत किये जाये।

1	आवेदक का नाम	
2	शाला का नाम जिसमें आवेदन किया जा रहा है	
3	पैनल (मय विषय के) का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।उदाहरणार्थ SSS1–English/ SSS2–Maths/ SSS3 इत्यादि	....
4.	स्कोर कार्ड अनुसार अंक	....
5	आवेदक का पंजीयन (मोबाइल) नम्बर	....
दिनांक		**आवेदक के हस्ताक्षर**

✂...✂

<u>आवेदन की पावती</u>

आवेदक श्री ....द्वारा ....पैनल ....विषय........................हेतु प्रस्तुत आवेदन आज दिनांक .... को ....बजे प्राप्त किया गया।

प्राप्तकर्ता का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर
संस्था की सील

स्वघोषणा

मै,..पुत्र/पुत्री .... उम्र..............निवासी...................................

शपथपूर्वक यह कथन करता हूं कि

1- मेरे विरुद्ध कोई भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2000" के अधीन कोई मामला पंजीबद्ध अथवा प्रचलित नहीं है।

2- किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे अपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं किया और न ही कोई प्रकरण माननीय न्यायलय में विचाराधीन है अथवा न ही कोई मामला पंजीबद्ध हुआ है।

3- मेरे द्वारा किसी अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नही किया जा रहा है ।

4-मेरे द्वारा गत वर्ष निम्नलिखित स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में अद्यापन कराया गया था-

स्कूल का नाम--

1-	कक्षा	अध्यापन का विषय	परीक्षा परिणाम 2019 --------
2-	कक्षा	अध्यापन का विषय	परीक्षा परिणाम 2019 --------
3-	कक्षा	अध्यापन का विषय	परीक्षा परिणाम 2019 --------
4-	कक्षा	अध्यापन का विषय	परीक्षा परिणाम 2019 --------

शपथ ग्रहिता

नाम ....

स्थान

दिनांक

शैक्षणिक सत्र 2018-19 का उपस्थिति प्रमाण पत्र

(आवेदक ने सत्र 2018-19 में कार्य किया है, किंतु ज्वाईनिंग gfms पोर्टल में नहीं होने अथवा मानदेय पोर्टल से जनरेट नहीं होने के कारण स्कोर कार्ड में बोनस अंक प्रदर्शित नहीं होने वाले आवेदक गतवर्ष 2018-19 की कार्यरत संस्था तथा संकुल प्राचार्य से उपस्थिति प्रमाणपत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है, कि आवेदक ....

ने अतिथि शिक्षक(वर्ग-1/2/3) .... विषय .... में विद्‌यालय..

में सत्र 2018-19 में कार्य किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

Month→	Aug'18	Sept'18	Oct'18	Nov'18	Dec'18	Jan'19	Feb'19	Mar'19	Total
उपस्थित कार्यदिवस→									

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त आवेदक को अतिथि शिक्षक के रुप में अध्यापन कार्य हेतु दिये गये निर्देशों तथा नियमानुसार आमंत्रित किया गया था। उक्त प्रमाणपत्र कार्यालयीन दतावेजो के आधार पर जारी किया जा रहा है |

दिनांक ....

संस्था प्रमुख का नाम
हस्ताक्षर
संस्था की मुहर

दिनांक ....

संकुल प्राचार्य का नाम
हस्ताक्षर
संकुल संस्था की मुहर